

प्रेषक,

सदाकान्त,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ।
2. निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग—3

लखनऊ, दिनांक: 07 जनवरी, 2013

विषय : उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली—2012 के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के संबंध में संलग्न कार्यालय ज्ञाप संख्या—12/26—3—2013—रिट(23)/2011, दिनांक 07 जनवरी, 2013 द्वारा “उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली—2012” जारी की गयी है। राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित यह नियमावली इस पत्र के साथ मूलरूप से संलग्न की जा रही है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सामान्यवर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2012 के प्राविधानों/प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को किया जायेगा। इस नियमावली के प्राविधान माह जुलाई, 2012 से प्रारम्भ शिक्षण सत्र से लागू होंगे। अतः नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जायेगी।

2. इस नियमावली के नियम—6(iii) के अन्तर्गत ऐसे छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त होगी, जिनके अभिभावकों की आय समस्त श्रोतों से

रु0 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो। यह सुविधा नियमावली के नियम-11(iv) के प्राविधानों के अन्तर्गत देय होगी।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-2207(2)/26-3-2012-4(358)/07-टी0सी0-2, दिनांक 26 सितम्बर, 2012 द्वारा मास्टर डाटाबेस में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों के पंजीकरण हेतु 31 अक्टूबर, 2012 की अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी थी। अतः उत्तर प्रदेश में रिथित शिक्षण संस्थाओं और उनके पाठ्यक्रमों के बारे में प्रमाणित सूचनाएं उपलब्ध होगीं। अतः उसका उपयोग इस कार्य के लिए भी कर लिया जाय। संलग्न सामान्य वर्ग की नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत “सामान्य वर्ग” के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में निम्नवत् समय—सारणी निर्धारित की जा रही है:—

क्रमांक	नियमावली के अनुरूप प्रक्रियात्मक कार्यवाही	अन्तिम तिथि
1	संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना	31 जनवरी, 2013
2	शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग के संबंधित जनपदीय/क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित किया जाना तथा शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा संस्था व पाठ्यक्रम की प्रमाणिकता के संबंध में अपनी संस्तुति “छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति” को प्रेषित किया जाना।	15 फरवरी, 2013
3	“छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति” के स्वीकृत आदेश सहित जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सूचित किया जाना तथा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि संबंधित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में अंतरित किया जाना	28 फरवरी, 2013
4	छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रथम चरण का साफ्टवेयर/वेबसाइट को एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा लॉक करने की तिथि	28 फरवरी, 2013

4. उपरोक्त समय—सारणी के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण सुनिश्चित किया जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्तिम तिथि के पूर्व ही विहित कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय, अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा अथवा अद्वार्षिक परीक्षा आदि में सम्मिलित होने के पश्चात अगले सेमेस्टर में जाने वाले छात्रों को दूसरे सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय चरण में जनरेट कराकर बेवसाइट पर अलग से निर्मित साफ्टवेयर पर अपलोड कराने के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण से धनराशि की मांग की जायेगी। प्रथम चरण के साथ—साथ द्वितीय चरण की धनराशि भी दिनांक 01.02.2013 तक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी तथा स्वीकृत की गयी धनराशि संबंधित छात्र/छात्राओं के खाते में दिनांक 28 फरवरी, 2013 तक अवश्य अंतरित कर दी जायेगी।

5. चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष को समाप्त होने में मात्र 03 माह शेष हैं और सभी कार्यवाही मार्च 2013 के पहले पूरी कर ली जानी है, जैसा कि नियमावली में व्यवस्था है। अतः प्रथम चरण और द्वितीय चरण की धनराशि की processing एक साथ ही करा ली जाय और पात्र और अर्ह छात्र/छात्राओं को प्रथम और द्वितीय चरण की धनराशि प्रत्येक दशा में 28 फरवरी 2013 तक उनके खातों में स्थानान्तरित करना सुनिश्चित किया जाय।

6. प्रस्तर—3 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 26 सितम्बर, 2012 के अनुसार सामान्य वर्ग के छात्रों के संबंध में भी प्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं के संबंध में जनपद स्तर पर अलग से छात्र/छात्राओं का विवरण तैयार कराया जायेगा तथा नियमानुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी।

कृपया संलग्न नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,  
*.....*  
(सदाकान्त)  
प्रमुख सचिव  
21/13.

संख्या—12(3) / 26—3—2013 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई—मेल के माध्यम से भेजें।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त एवं उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त(व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
*.....*  
( एन0एच0रिज़वी )  
संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश शासन  
समाज कल्याण अनुभाग—3  
संख्या—12/26-3-2013-रिट(23)/2011  
लखनऊ: दिनांक: 07 जनवरी, 2012

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012

1— नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नियमावली-2012 कहलाएगी।
2— उददेश्य	इस योजना का मुख्य उददेश्य मैट्रिकोल्टर या सेकेन्ड्री के बाद की कक्षाओं में विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे सामान्य वर्ग के गरीब माता-पिता अथवा अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है।
3— प्रसार/विस्तार	इस नियमावली से सम्पूर्ण भारत वर्ष में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्राएं आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी/मूल निवासी हो।
4— प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्राविधान माह जुलाई, 2012 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू होंगे।
5— परिभाषा —	<p>i – राज्य सरकार</p> <p>ii – अभ्यर्थी</p> <p>iii – शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम</p> <p>iv – सामान्य वर्ग</p>
	"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। 'अभ्यर्थी' का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है, जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के अन्तर्गत संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। ऐसे अभ्यर्थी जो पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हों, इसके लिए अर्ह होंगे। पत्राचार में सुदूर एवं अनुवर्ती शिक्षा शामिल है। "शिक्षण संस्था" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित अथवा सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त संस्थान से है व "पाठ्यक्रम" का तात्पर्य सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संचालित व सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से है। "सामान्य वर्ग" का तात्पर्य उन जाति समूहों से है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्गों के अन्तर्गत न आते हों। अल्पसंख्यक श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित होंगे।

V—बैंक

“बैंक” का तात्पर्य किसी ऐसे राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है, जिसमें कोर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो।

VI —शैक्षणिक सत्र

“शैक्षणिक सत्र” का तात्पर्य किसी वर्ष विशेष में समय के ऐसे निर्धारित अन्तराल से है, जिसके अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्धारित नीति के अनुसार शिक्षण कार्य सम्पन्न किया जाता हो।

vii—फी सीट

केन्द्र अथवा राज्य के सक्षम प्राधिकारी स्तर से आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से या मेरिट की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सीट।

viii —पेड सीट

केन्द्र अथवा राज्य के सक्षम प्राधिकारी स्तर से आयोजित प्रवेश परीक्षा से इतर अथवा प्रबन्धकीय कोटे एवं स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम आदि में भरी गयी सीट।

ix —छात्रवृत्ति का मूल्य

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियों सम्मिलित होगी:-

- (क) अनुरक्षण भत्ता
- (ख) अनिवार्य वापस न होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति
- (ग) अध्ययन दौरा खर्च
- (घ) शोध कार्य का टंकण/मुद्रण खर्च
- (च) पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता
- (छ) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता।
- (क) “शुल्क” का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि शामिल होंगे।
- (ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की फी एवं पेड सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। तथापि पेड सीटों के सापेक्ष छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करते समय, छात्र द्वारा संलग्न किये गये आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय की जांच अनिवार्य रूप से की जायेगी।
- (ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रदेश

## 6— अर्हता

के किसी अन्य निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान में उसी पाठ्यक्रम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संबंधित संस्था द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि, जो भी कम हो, भुगतान की जायेगी।

(घ) जो निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थान अपने यहां संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से अधिकृत नहीं हैं व पाठ्यक्रम के शुल्क भी सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं है, उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रमुख सचिव, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति दर अथवा संस्थान द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि, जो भी कम हो, भुगतान की जायेगी।

छात्रवृत्ति हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन पात्र होंगे :—

- (i) केवल वे ही उम्मीदवार इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हों अर्थात् स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग से संबंधित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेन्ड्री या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
- (ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर या सेकेन्ड्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए दी जायगी :—
  - (क) विमान अनुरक्षण इंजीनियर पाठ्यक्रमों
  - (ख) निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रमों
  - (ग) ट्रेनिंग शिप डफरिन (अब राजेन्द्रा) के पाठ्यक्रमों
  - (घ) सैनिक महाविद्यालय
  - (च) देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों
  - (छ) अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है।
- (iii) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।
- (iv) ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें। उदाहरणार्थ—इंटर आर्ट्स करने के बाद इंटर साईंस करने लगें या बी०ए० करने के बाद बी०काम करने लगें, या एक विषय में एम०ए० करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम०ए० करने लगें।
- (v) ऐसे छात्र, इसके पात्र नहीं होंगे, जो किसी एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद किसी दूसरे व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता

प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगें, जैसे—बी0टी0/बी0एड0 के बाद एल0एल0बी0 करने लगें। शैक्षिक वर्ष 1980-81 से दो व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने की अनुमति है।

- (vi) सतत स्कूल पाठ्यक्रम होने के कारण बहुदेशीय हाईस्कूल की 12वीं कक्षा के हायर सेकेन्ड्री स्कूल पाठ्यक्रमों की 11वीं कक्षा के छात्र इसके पात्र नहीं होंगे, तथापि, उन मामलों में, जहां ऐसे पाठ्यक्रमों की 10वीं कक्षा की परीक्षा मैट्रीकुलेशन के समकक्ष मानी जाती हो, और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्रों ने अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया हो, ऐसे छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्र समझा जायेगा।
- (vii) यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या वजीफा पा रहे हैं तो एम0बी0बी0 एस0 पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/हाऊस मैनशिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (viii) चिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गयी हो।
- (ix) किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृत्तिका (स्टाइपेन्ड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/छात्राएं इसके लिए अर्ह नहीं होंगे।
- (x) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जायेंगी, जिन्होंने कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यवसायिक या तकनीकी प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया हो, बर्ताव कि वह अन्यथा इसके पात्र हों। उसके बाद समूह-1 (परिशिष्ट के में अंकित समूह) के पाठ्यक्रमों को छोड़कर अनुत्तीर्ण होने पर छूट नहीं दी जायेगी।
- (xi) उन रोजगार प्राप्त छात्रों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न की जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्वयं की व उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अधिकतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।
- (xii) एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- (xiii) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र छात्रवृत्ति या वजीफा दोनों में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में

सूचना संस्था प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस तारीख से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति या वजीफा स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि, छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।

(xiv) वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीफे के पात्र नहीं होंगे।

(xv) जब तक माता पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेराजगार के मामले में पति) जीवित हैं, तब तक माता-पिता/पति जैसी भी स्थिति हो, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, चाहे वह कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों (अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार मामले में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुःखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्तें पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।

मूल निवास के सम्बन्ध में, आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया 'सामान्य निवास प्रमाण-पत्र' मान्य होगा, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।

माता-पिता अथवा अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगे :—

(i) माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, के नौकरी में होने की दशा में उनके नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त आय को ₹ 10/- के गैर न्यायिक स्टाम्प ऐपर पर घोषित करते हुए शपथ-पत्र के माध्यम से देना होगा।

(ii) अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, उनके नौकरी में न होने की दशा में समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में तहसीलदार

- द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण—पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।
- (iii) अध्यर्थी के माता—पिता या पति या संरक्षक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को “आय” में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति की गयी हो।
- (iv) आय प्रमाण—पत्र केवल एक बार अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के समय ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय—प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण—पत्र देना होगा।
- (v) जमा किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।
- 9— मास्टर डाटाबेस व संस्थाओं का पंजीकरण कोर्स मास्टर में (i) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के नाम व विवरण समाज कल्याण विभाग द्वारा शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में संचालित ‘मास्टर डाटा बेस’ में तथा पाठ्यक्रमों के संबंध में संचालित ‘कोर्स मास्टर’ में निर्धारित समय सीमा तक शामिल होने पर ही ऐसी संस्थाओं के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देय होगी।
- (ii) जनपद स्तर पर निर्धारित तिथि तक शैक्षणिक संस्थाओं के नाम मास्टर डाटा बेस में जिलाधिकारी की अनुमति से जोड़े जा सकेंगे। निर्धारित तिथि तक छूट गयी संस्थाओं के सम्बन्ध में उपयुक्त कारण दर्शाये जाने की दशा में जिलाधिकारी की संस्तुति पर एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् नवीन मान्यता प्राप्त करनें वाली संस्थाओं के नाम मास्टर डाटा बेस में निर्धारित तिथि से एक माह के अन्दर मण्डलायुक्त की अनुमति से जोड़े जा सकेंगे। इसके पश्चात डाटाबेस में प्रविष्टि की अनुमति देने का अधिकार केवल शासन को होगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई पात्र संस्था छूटने न पाये तथा कोई गलत संस्था मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित न हो सके।
- 10— अनुरक्षण भत्ता की निर्धारित दरें (i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय—समय पर निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार अनुरक्षण भत्ता की दर व विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का, जो प्राविधान किया गया है, वह तदनुरूप लागू रहेगा, संलग्नक परिशिष्ट “क” में अंकित है।
- (ii) उन छात्रों को, जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, उनको अनुरक्षण भत्ता की दरों का 1/3 अनुरक्षण व्यय दिया जायेगा।
- 11— छात्र को अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम (i) छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एकमुश्त भुगतान किया जायेगा।
- (ii) जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश मिलने की व्यवस्था हो, शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि एक मुश्त भुगतान की जायेगी।

### का निर्धारण

12— अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया

- (iii) जिन पाठ्यक्रमों में वार्षिक परीक्षा से भिन्न अन्तराल पर होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश मिलने की व्यवस्था हो, प्रत्येक कक्षा में प्रवेश हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति प्रवेश पाने की पुष्टि के बाद ही की जायेगी। उदाहरण के तौर पर इंजीनियरिंग में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने की दशा में प्रत्येक सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति उस सेमेस्टर में प्रवेश पा लेने के बाद ही की जायेगी।
- (iv) सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित वरीयता कम में शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति उनके द्वारा बैंक में खोले गये बचत खाते में सीधे अन्तरित करके की जायेगी :—
- (क) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वातंत्रशासीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।
- (ख) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।
- (ग) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में फी सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।
- (घ) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, में पेड़ सीट के सापेक्ष प्रवेश पाकर अध्ययनरत छात्र/छात्रायें।
- (च) निजी क्षेत्र के ऐसे संस्थान जिनकी शुल्क संरचना केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है, किन्तु संस्थान अपने यहां संचालित पाठ्यक्रम की शुल्क संरचना स्वयं निर्धारित किये जाने हेतु अधिकृत हैं उनमें अध्ययनरत छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रथम आवत प्रथम पावत व्यवस्थानुसार बजट की उपलब्धता की सीमा तक।
- नोट:- (1) उपरोक्त (क) से (घ) तक की संस्थाओं के छात्रों को संतुष्ट करने के पश्चात् ही धनराशि अवशेष रहने पर उपलब्ध बजट की सीमा तक उपरोक्त (च) से संबंधित छात्र/छात्राओं को भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- (2) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की देनदारियां उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जायेगी एवं अग्रणीत नहीं होगा।
- (3) भारत सरकार की किसी योजना से छात्रवृत्ति अथवा शुल्क प्रतिपूर्ति पाने वाले छात्र/छात्राओं को इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।
- इस योजना में अहं छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। छात्रों द्वारा प्रवेश के समय संस्था को नियमानुसार शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। इस योजना में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा

बजट सीमा के अन्तर्गत और नियमावली की प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्र को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार छात्र के बैंक खाते में Reimburse की जायेगी।

(ii) अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु पात्र छात्र परिशिष्ट "ख" पर संलग्न निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर सूचनाएं भरकर दो प्रतियाँ परिशिष्ट "ग" के अनुसार सभी वांछित संलग्नकों सहित परिशिष्ट "घ" के अनुसार शपथ-पत्र सम्बन्धित शिक्षण संस्था में निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रस्तुत करेगा, जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट "च" के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन-पत्र में संलग्न आय, व निवास प्रमाण-पत्रों का सत्यापन राजस्व विभाग की वेबसाईट से, तथा अन्य प्रमाण-पत्रों का मिलान मूल प्रमाण-पत्रों से शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों पर अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।

1—संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य— अध्यक्ष

2—संस्था के वरिष्ठतम् प्राध्यापक — सदस्य

3—संस्था के वरिष्ठतम् अनु०जाति के प्राध्यापक— सदस्य

अथवा

संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राध्यापक

अथवा

उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित

सामान्य श्रेणी का कोई प्राध्यापक

(iv) उपरोक्त समिति पर संस्तुत छात्रों का निर्धारित विवरण विभाग द्वारा तैयार कराये साफ्टवेयर के डाटाबेस में फीड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। डाटा की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व भी संस्था का ही होगा। फीड कराये गये डाटा की हार्ड एवं साफ्ट कापी(सी०डी०) के साथ परिशिष्ट "छ" के अनुसार सत्यापन प्रमाण-पत्र तथा परिशिष्ट "ज" के अनुसार ₹० 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र सहित संस्था के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग के संबंधित सक्षम जनपदीय या क्षेत्रीय अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।

(v) प्रत्येक छात्र के संबंध में आवेदन पत्र की प्रति संबंधित शिक्षण संस्था के कार्यालय में 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।

(vi) शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा संस्था व पाठ्यक्रमों की प्रमाणिकता एवं

आवेदकों की संख्या का परीक्षण किया जायेगा। इसके पश्चात् उपर्युक्त डाटा की हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी(सी0डी0) अपनी संस्तुति सहित निर्धारित तिथि से पूर्व छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को प्रेषित की जायेगी।

- (vii) जनपद स्तर पर सामान्य जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है :-

1- जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अध्यक्ष

अधिकारी अथवा अपर जिला अधिकारी

2- जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य

3- जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव

यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति, जिसमें अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भी सम्मिलित है, की स्वीकृति प्रदान करेगी।

- (viii) छात्रवृत्ति की स्वीकृति के उपरान्त संबंधित डाटा की हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्वीकृत आदेश सहित निर्धारित तिथि से पूर्व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को प्राप्त करायी जायेगी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति के साफ्टवेयर पर डाटा को प्रोसेस कराकर निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट पर अपलोड कराया जायेगा।

- (ix) निर्धारित रीति से जनपदों को इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत वितरण का दायित्व भी नियम-12(vii) में अंकित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का होगा।

- (x) अभ्यर्थी को अनुमन्य अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि शैक्षणिक संस्था के समीपस्थ स्थित बैंक में खोले गये उसके बचत खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी। शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान प्रति वर्ष या निर्धारित अन्तराल पर, जैसा भी लागू हो, किया जायेगा।

- (xi) बैंकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि उनको उपलब्ध कराई गई धनराशि समय से छात्रों के बैंक खातों में स्थानान्तरित करें, यदि किसी कारणवश धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे समाज कल्याण विभाग के नोशनल एकाउन्ट में यथाशीघ्र वापस करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा वापस की जा रही धनराशि का छात्रवार पूर्ण विवरण जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वापस प्राप्त धनराशि के विवरण को तत्काल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कराकर उत्पन्न समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा। इस समस्या के निराकरण हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

- (i) संस्था में अध्ययनरत अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र जमा करना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ii) जिला समाज कल्याण अधिकारी व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रथम किशत की धनराशि प्रथम चरण में जनरेट कराकर वेबसाइट पर अपलोड कराकर निर्धारित तिथि के अन्दर मांग की जायेगी तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि को अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रथम चरण का साफ्टवेयर एवं वेबसाइट को राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा लाक कर दिया जायेगा।
- (iii) एन०आई०सी० में अपलोड कराये गये छात्रवृत्ति डाटा के आधार पर साफ्टवेयर द्वारा तैयार किये गये अनुसूची के द्वारा अनुरक्षण भत्ता एवं निर्धारित देय शुल्क की धनराशि की प्रथम किस्त सम्बन्धित छात्र के बैंक खाते में निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अवश्य अन्तरित करा दी जायेगी। उस वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के पश्चात् परीक्षा अथवा अद्वार्षिक परीक्षा आदि में सम्मिलित होने के पश्चात् अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की दूसरे सेमेस्टर की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय चरण में जनरेट कराकर वेबसाइट पर अलग से निर्मित साफ्टवेयर पर अपलोड कराकर प्रदर्शित होने पर निदेशक, समाज कल्याण से मांग की जायेगी। शुल्क प्रतिपूर्ति की केवल द्वितीय चरण की धनराशि को ही वेबसाइट पर निर्धारित तिथि तक संबंधित साफ्टवेयर पर अपलोड किया जायेगा व उक्त साफ्टवेयर को निर्धारित तिथि पर एन०आई०सी० लखनऊ द्वारा पूर्णतया लाक कर दिया जायेगा। द्वितीय चरण की माँग की धनराशि निर्धारित अंतिम तिथि तक जनपदों को प्रेषित की जायेगी। किसी भी जनपद की जंक डाटा आदि के निवारण के पश्चात् अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति को वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अपरिहार्य हो, तो संबंधित प्रकरण में निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश की अनुमति के पश्चात् राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा अपलोड की कार्यवाही की जायेगी।
- (iv) शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय चरण की धनराशि को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा यथासम्भव माह—मार्च के अंत से पूर्व छात्रों के बैंक खाते में अन्तरित करायी जायेगी।
- (v) अनुरक्षण भत्ता 01 अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से शैक्षणिक वर्ष के अन्त में उस महीने तक जिसमें परीक्षायें पूरी होती हैं, देय होंगे। बशर्ते यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामांकन कराता है तो राशि नामांकन के महीने के बाद आने वाले महीने से दी जायेगी।
- (vi) गतवर्ष दी गयी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के मामले में, यदि पाठ्यक्रम जारी रहता है तो छात्रवृत्ति उस महीने के अगले महीने से दिया जायेगा, जिस महीने तक


- 14— छात्रवृत्ति की अवधि व नवीनीकरण (i) गत वर्ष भुगतान किया गया था।  
एक बार दी गयी छात्रवृत्ति उसको दिये जाने के चरण से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी। बशर्ते कि छात्र का आचरण अच्छा रहे तथा उपस्थिति में नियमितता रहे। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीनीकृत होगी, परन्तु शर्त यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में जो अनेक वर्षों तक सतत चलता रहता है, छात्र हर वर्ष उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षा में पहुंचता रहे। परीक्षायें भले ही विश्वविद्यालय द्वारा ली जाए अथवा संस्था द्वारा। किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि से अधिक की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
- (ii) समूह-1 के पाठ्यक्रम वाला छात्र यदि पहली बार परीक्षा में असफल रहता है तो छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है। किसी भी कक्षा में दूसरी बार अथवा तत्पश्चात असफल होने पर विद्यार्थी को अपना खर्च तब तक स्वयं वहन करना होगा जब तक अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता।
- (iii) यदि छात्र अस्वस्थता अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा/ अथवा संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके द्वारा (संस्था के प्रमुख) यह प्रमाणित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीनीकृत की जायेगी।
- (iv) यदि विश्वविद्यालय/ संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात दोबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है।
- 15— छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्तें (i) छात्रवृत्ति, अभ्यर्थी की संतोषजनक प्रगति एवं आचरण पर निर्भर है। यदि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई अभ्यर्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषजनक प्रगति करने में असफल रहा है अथवा उसे दुर्व्यवहार जैसे— हड्डताल करने या उसमें भाग लेने, सम्बन्धित प्राधिकारियों की अनुमति के बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति संस्चीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता है या ऐसी अवधि, जो वह उचित समझे, तक के लिए आगे का भुगतान रोक सकता है।
- (ii) यदि यह पाया जाता है कि छात्र ने झूठी घोषणा से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त की है तो उसकी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति तुरन्त रद्द कर दी जायेगी और समाज कल्याण विभाग अपने विवेक से भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की धनराशि वसूल कर सकेगा। सम्बन्धित छात्र को काली सूची में सूचीबद्ध किया

- जायेगा और किसी भी योजना में छात्रवृत्ति से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जायेगा तथा छात्र के विरुद्ध उचित धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- (iii) प्रदत्त छात्रवृत्ति रद्द की जा सकती है, यदि छात्र उस पाठ्यक्रम का विषय बदल देता है, जिसके लिए वह छात्रवृत्ति मूलतः दी गयी थी, अथवा छात्र राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन बगैर अध्ययन की संस्था को बदल लेता है। संस्था प्रमुख ऐसे मामलों के बारे में विभाग को सूचित करेगा ताकि विभाग छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान रोक देगा। राज्य सरकार के विवेक से पहले भुगतान की गयी धनराशि भी वसूल की जा सकती है।
- (iv) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान यदि वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो विभाग के निर्णय पर छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि वापस करनी होगी।
- 16— संबंधित शिक्षा विभागों का दायित्व
- (i) प्रदेश की विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं उनके शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार के प्रशासकीय शिक्षा विभाग यथा— माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा विभाग, एवं स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा यदि कोई अन्य विभाग हो तो उनके द्वारा किया जायेगा।
- (ii) उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्धारित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण सम्बन्धित विभाग के जनपद स्तरीय/क्षेत्रीय अधिकारी अथवा संस्था द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को मास्टर डाटाबेस में अपलोड कराने हेतु अपनी संस्तुति सहित उपलब्ध कराया जायेगा।
- (iii) सभी संबंधित विभाग अपने विभाग के जनपद स्तरीय अथवा क्षेत्रीय अधिकारियों से नियम-12 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
- 17— जनपद स्तर पर अनुश्रवण
- (i) छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-
- |   |           |
|---|-----------|
| (1) जिलाधिकारी  | अध्यक्ष   |
| (2) जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति<br>का अध्यक्ष                   | उपाध्यक्ष |
| (3) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी                                     | सदस्य     |
| (4) जनपद में स्थित राठो विश्वविद्यालयों<br>के प्रतिनिधि, यदि कोई हो   | सदस्य     |
| (5) जनपद में स्थित राठो मेडिकल<br>कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो      | सदस्य     |
| (6) जनपद में स्थित राठो इंजीनियरिंग<br>कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो | सदस्य     |

- (7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो सदस्य
- (8) जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य
- (9) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC) सदस्य
- (10) जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव
- (ii) उक्त समिति छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का स्व विवेक से सत्यापन करायेगी। समिति की बैठक प्रतिमाह की जायेगी तथा प्रत्येक माह कृत कार्यवाही विषयक आख्या मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (iii) उक्त समिति निम्नलिखित मामलों में शत-प्रतिशत सत्यापन करायेगी –  
 क– पाठ्यक्रमवार कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी भी पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत से अधिक सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थाएँ।  
 ख– जिन निजी क्षेत्र की संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की माँग एक करोड़ रुपये या उससे अधिक हो।  
 उक्त के अतिरिक्त समिति स्व विवेक से ऐण्डम आधार पर अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर किसी भी शैक्षिक संस्था की जाँच अथवा सत्यापन भी करा सकेगी।
- (iv) जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों सहित जानकारी संस्था के माध्यम से छात्रों को सम्मय उपलब्ध करायी जायेगी। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित करेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा। पारित आदेश के अन्तर्गत अनहठ अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिए आवश्यक शुल्क स्वयं वहन करना होगा।  
 अन्य प्रांतों में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण का कार्य निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा :-
- (i) छात्र जिस जनपद का मूल निवासी है, उसी जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संस्था द्वारा संस्तुति सहित भेजा जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों, संलग्नक समस्त प्रमाण-पत्रों एवं सम्बन्धित छात्र का स्थानीय स्थलीय सत्यापनोपरान्त स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही इस नियमावली में अंकित व्यवस्थाओं के अनुरूप उस जनपद की छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा की जायेगी, जो नियम-12(vii) के

19— संशोधन का अधिकार

- अन्तर्गत गठित की गयी है।
- (ii) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति से पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित छात्र उत्तर प्रदेश की किसी शिक्षण संस्था में पंजीकृत अथवा अध्ययनरत तो नहीं है।
  - (iii) प्रदेश के बाहर स्थित संस्थाओं, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का अलग विवरण तैयार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग द्वारा समुचित साफ्टवेर तैयार कराया जायेगा।
  - (i) इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई निवारण करने की शक्ति मात्र मुख्य मंत्री जी में निहित होगी।

  
 (सदाकान्त)  
 प्रमुख सचिव  
 २१।।३.

संख्या-12(1)/26-3-2013 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजें।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त एवं उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०।
5. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-३, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
 ( एन०एच०रिज़वी )  
 संयुक्त सचिव

सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्वार्गत समूहवार पाठ्यक्रम का विवरण

समूह	पाठ्यक्रम
I	डिग्री व मास्टर डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम एम०फिल०-पी०एच०डी० समस्त चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, डिजाइन, फैशन टेक्नालोजी, कृषि, पशुचिकित्सा, एलाइड साइंस, व्यवसाय वित्त, मैनेजमेंट, प्रशासन, कम्प्यूटर साइंस आदि पाठ्यक्रम, मैनेजमेंट चिकित्सा के परास्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, सी०ए०, आई०सी०डब्लू०ए०, सी०ए०स०, आई०सी०एफ०ए०, एल०एल०एम०, डी०लिट०, डी०एस०सी० आदि
II	स्नातक/परास्नातक स्तरीय डिग्री, डिप्लोमा, सार्टिफिकेट पाठ्यक्रम यथा फार्मसी, नर्सिंग, एल०एल०बी०, बी०एफ०एस०, पैरामेडिकल यथा—पुनर्वास, निदान आदि, मास कम्प्यूनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन, न्यूट्रोशन एण्ड डाइटेटिक्स, कामर्शियल आर्ट, ट्रूरिज्म हास्पिटैलिटी, फाइनैन्शियल सर्विसेज(ई०जी०बैंकिंग इंश्योरेंस, टैक्सटायेनेटिक) जिसमें न्यूनतम प्रवेश योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष हो तथा परास्नातक पाठ्यक्रम जो समूह-1 में सम्मिलित न हो। यथा— एम०ए०/एम०एस०सी०/एम०काम/एम०एड०/एम० फार्मा आदि
III	समस्त स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 व ॥ में सम्मिलित न हो, यथा बी०ए०, बी०एस०सी० एवं बी०काम आदि
IV	समस्त नान डिग्री स्तरीय कोर्स, जिनमें न्यूनतम प्रवेश योग्यता हाईस्कूल हो, आई०टी०आई० तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (पॉलीटेक्निक) आदि

अनुरक्षण भत्ता की दरें (मासिक)

क्र०सं०	समूह	डे स्कालर	हास्टलर
1	I	550	1200
	II	530	820
	III	300	570
	IV	230	380

अन्य भत्ते (एक बार)

क्र०सं०	विवरण	दर
1	अध्ययन दौरा	1600
2	शोध कार्य के टंकण एवं मुद्रण	1600
3	पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु पुस्तक भत्ता	1200

### विकलांग छात्रों हेतु मानसिक भत्ते

क्र०सं०	विवरण	दर
1	दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता	समूह -1 व 2 - 240 समूह -3 - 200 समूह -4 - 160
2	यदि छात्र उस हास्टल में नहीं रहता है तो शिक्षण संस्था के परिसर में स्थित हो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांगता की परिभाषा दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण विकलांगता, चलन संबंधी विकलांगता, मानसिक अवरुद्धता तथा मानसिक रूग्णता के रूप में की गई है	160
3	लो एक्सटिमिटी विकलांगता वाले अत्याधिक विकलांग दिवा छात्र के लिए आरक्षी भत्ता, किसी शिक्षण संस्था के छात्रावास में रहने वाले किसी अत्यधिक अस्थि विकलांग छात्र को, जिसे किसी सहायक की सहायता की आवश्यकता हो, सहायता प्रदान करने के इच्छुक उस छात्रावास के किसी कर्मचारी के लिए विशेष वेतन अनुज्ञय होगा।	160
4	मानसिक अवरुद्ध और मानसिक रूप से रूग्ण छात्रों को अतिरिक्त कोरिंग हेतु भत्ता	240

सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति(अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु आवेदन पत्र  
(अभ्यर्थी द्वारा भरी जाने वाली प्रविष्टियाँ)

भाग-1

(आवेदन पत्र हिन्दी में स्पष्ट रूप से भरा जाय)

छात्र का  
स्वहस्ताक्षरित व  
संस्थाध्यक्ष द्वारा  
प्रमाणित फोटो

- 1— छात्र/छात्रा का पूरा नाम :.....  
(हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
- 2— पिता/पति का नाम :.....  
(अ) पाठ्यक्रम का प्रकार : (संस्थागत/पत्राचार).....
- 3— जन्मतिथि :.....
- 4— लिंग (पुरुष/महिला).....
- 5— हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष ..... बोर्ड का नाम .....
- 6— हाईस्कूल का अनुक्रमांक :.....
- 7— विद्यालय / संस्था का नाम व पता :.....
- 8— शिक्षा सत्र .....  
(प्रवेश की तिथि).....
- 9— पाठ्यक्रम का नाम :..... पाठ्यक्रम का वर्ष ..... पाठ्यक्रम की अवधि.....
- 10— अभ्यर्थी के सेवारत होने की स्थिति में व्यवसाय व वार्षिक आय .....
- 11— आवासीय स्थायी पता :.....
- 12— पत्र व्यवहार का पता :.....
- 13— मोबाइल नं: .....
- 14— दूरभाष/ई-मेल (अनिवार्य).....
- 15— पिता का व्यवसाय व वार्षिक आय..... माता का व्यवसाय व वार्षिक आय.....
- 16— विधिक अभिभावक का नाम, व्यवसाय तथा वार्षिक आय .....
- 17— (यदि माता/पिता जीवित न हो).....  
आय प्रमाण पत्र का क्रमांक :.....
- 18— निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक :.....
- 19— कक्षा में प्रवेश का प्रकार : (फ़ी सीट/स्ववित्त पोषित या पेड़ सीट).....
- 20— छात्र का खाता सं0..... बैंक का नाम..... शाखा का नाम.....  
(शैक्षिक संस्था के जनपद में समीपस्थ)

- 21— विश्वविद्यालय / बोर्ड में पंजीयन क्रमांक :.....
- 22— विश्वविद्यालय / बोर्ड का नाम : .....

### घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रविष्टियां/सूचनाएं सही हैं व मेरे द्वारा ही भरी गयी हैं, मुझे किसी अन्य स्रोत से दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है तथा मैं कहीं भी सेवारत नहीं हूँ। यदि सेवारत हूँ तो मेरी एवं मेरे माता पिता अथवा संरक्षक की कुल वार्षिक आय रु० दो लाख से कम है। मैंने इस संस्था के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्रवेश नहीं लिया है। मैं संस्था के शैक्षिक निर्देशों एवं निर्धारित उपस्थिति का समुचित अनुपालन करूँगा।

आवेदन पत्र में दी गयी यदि कोई सूचना एवं संलग्न निवास व आय प्रमाण पत्र सहित अन्य अभिलेख गलत पाये जायें तो छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस कर दूँगा/दूँगी। यदि ऐसा करने में मैं असफल होता हूँ तो जिलाधिकारी, राजस्व देयों की भाँति इसकी वसूली करने में स्वतंत्र होंगे, एवं संबंधित विभाग मेरे खिलाफ समुचित कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

माता/पिता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान.....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर.....

(माता/पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक )

नोट- पात्र अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रपत्र पर सूचनाएं भरकर शपथ पत्र व सभी संलग्नकों सहित आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक शिक्षण संस्था में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र पर शिक्षण संस्थान द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र के साथ  
संलग्न किये जाने वाले अनुलग्नकों का विवरण

1. छात्रवृत्ति(अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु साफ अक्षरों में भरा गया सुस्पष्ट आवेदन पत्र।
2. आवेदन पत्र पर चर्पा फोटो पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर किये जाय व संस्थान स्तर से प्रमाणित किया जाय।
3. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
4. सामान्य निवास प्रमाण पत्र(सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित)।
5. पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
6. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तदआशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
7. सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र कि उनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है और उनका प्रवेश संस्थान में लिया गया गया है तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलती पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की प्रति।
9. छात्र द्वारा जनपद के संस्था के समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की प्रति।
10. छात्र के माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा 10/- रु0 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र कि छात्र के आवेदन पत्र के साथ संलग्न आय प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी आय समस्त श्रोतों से है एवं इसके अतिरिक्त आय का कोई श्रोत नहीं है। यदि किसी प्रकार की जांच में दर्शायी गयी आय गलत पायी जाती है, तो उसके लिए हस्ताक्षरकर्ता पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

छात्र/छात्रा द्वारा देय शपथ पत्र (रु० 10/- के स्टाम्प पेपर पर)समक्ष

संस्थाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....जो ग्राम.....मुहल्ला.....

.....जनपद .....का निवासी हूँ। शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

- 1- यह कि मैं ग्राम.....मुहल्ला.....तहसील.....जिला.....उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)
- 2- यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग का हूँ।
- 3- यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है।  
(तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र/अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है)
- 4- यह कि सम्पत्ति मैं.....शैक्षिक संस्थान के .....पाठ्यक्रम में .....वर्ष में संख्यागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था.....विश्वविद्यालय/बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।
- 5- यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूँगा।
- 6- यह कि मैंने पिछली परीक्षा.....वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के संबंध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है। परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
- 7- यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति जो इस योजना से अधिक लाभप्रद है।
- 8- यह कि मेरा बचत खाता संख्या.....बैंक.....के .....शाखा में खुला हुआ है।
- 9- यह कि उक्त संस्था द्वारा मुझे प्रवेश दिया गया है। उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में हैं इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनांक :

शपथी के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

क्रमांक.....

छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

श्री/ श्रीमती/ कु0.....पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री.....

निवासी.....

दशमोत्तर छात्रवृत्ति(अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेखों की मूल /स्व-प्रमाणित प्रतियां प्राप्त किया ।

(शैक्षणिक संस्था के कार्यालय द्वारा जांच कर टिक अंकित किया जाय)

- 1— शपथ पत्र की मूल प्रति:
- 2— स्थायी निवास के प्रमाण पत्र की छाया प्रति :
- 3— वर्तमान निवास के प्रमाण पत्र की छाया प्रति :
- 4— आवेदक के माता/पिता/अभिभावक का निर्धारित आय प्रमाण पत्र
- 5— पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र

1—.....

2—.....

( प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्था के अधिकारी/ कर्मचारी के हस्ताक्षर)

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक .....

(शैक्षिक संस्था द्वारा दिया जाने वाला सत्यापन/संस्तुति प्रमाण पत्र)

- 1- (अ) पाठ्यक्रम के वर्ष की पहली सेमेस्टर/अद्वार्षिक परीक्षा की निर्धारित माह—  
 (ब) पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता) की धनराशि (अंकों में).....  
 (शब्दों में) .....  
 (स) अनुरक्षण भत्ता की अवधि – .....
- 2- पाठ्यक्रम हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदित वार्षिक नान रिफण्डेबुल अनिवार्य शुल्क धनराशि  
 (अंकों में).....(शब्दों में).....  
 (राज्य सरकार के संबंधित प्रशासकीय विभाग के शासनादेश की संख्या एवं तिथि  
 अंकित किया जाये, जिसके माध्यम से उपरोक्त शुल्क निर्धारित किया गया है एवं प्रति संलग्न  
 करें।)
- 3- संस्थान की मान्यता का विवरण: (संस्थान द्वारा भरा जाना)
- 4- पाठ्यक्रम की मान्यता का विवरण : (संस्थान द्वारा भरा जाना)
- 6- आवेदन पत्र की छाया प्रति के साथ छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी सूचनाओं की प्रविष्टि  
 समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में करा दी गयी है एवं उक्त सूचनाओं की  
 हार्ड कापी से शुद्धता का मिलान कर लिया गया है। आवेदन पत्र की मूल प्रति, सूची की हार्ड  
 एवं साफ्ट कापी व समिति की संस्तुति आख्या संलग्न है।
- 7- मेरे संस्थान में अनुमोदित शुल्क, संस्थान की मान्यता एवं संस्थान के पाठ्यक्रम के अनुमोदन की  
 छाया प्रति सूची के साथ संलग्न है। प्रेषित डाटा की साफ्ट कापी में त्रुटि पाये जाने पर  
 उसके लिए संस्था उत्तरदायी होगी।
- 8- संस्थान के प्रधानाचार्य की संस्तुति: .....

नोट:- संस्थाध्यक्ष द्वारा स्वयं उक्त आवेदन पत्र<sup>1</sup>  
 अग्रसारित किया जायेगा। किसी कार्यवाहक  
 द्वारा अग्रसारित न किया जाय।

हस्ताक्षर संस्थाध्यक्ष  
 नाम—  
 मुहर—  
 दिनांक—

छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना में

संस्थान द्वारा संस्तुति अग्रसारण संबंधी शपथ-पत्र

(₹० 10/- के नान-जूड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र निम्नानुसार उपलब्ध कराया जायेगा)

1. जिन सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति(अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की संस्तुति समाज कल्याण विभाग से की जा रही है उन छात्रों का प्रवेश संस्था में ले लिया गया है।
2. शपथ-पत्र पर संस्थाध्यक्ष का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी० एवं प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर विषयक पत्र।
3. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर संस्तुति की हॉर्ड व साफ्ट कापी (सी०डी०) के रूप में।
4. शपथ पत्र पर यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि (हार्ड कापी) में अंकित समस्त छात्रों के आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कराये गये हैं। साथ ही साथ आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट से प्रमाणित भी कर लिया गया है, जो सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर छात्र सहित संस्थाध्यक्ष पूर्णतया उत्तरदायी होगा।

नोट- किसी भी दशा में उक्तानुसार विवरण रहित शपथ-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।